

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 773/14-1, दिनांक: अलीगढ़: सितम्बर: 07 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:— एटा-शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0 85) किमी0 3.1325 की दांयी पटरी पर ग्राम निघौली खुर्द के खसरा संख्या 999स/1 में एस्सार आयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 (पूर्व में 0.0794 हे0) संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।


संदर्भ— वन संरक्षक (केन्द्रीय) लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक— 8बी/06/32/2016 एफ0सी0/17 दिनांक 13.04.2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा ने अपने पत्रांक 475/14-1, दिनांक 01.09.2017 द्वारा विषयक प्रस्ताव में लगायी गई आपत्तियों का निराकरण कर आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। अतः आपत्तियों पर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:—

S.no.	Observation	Reply
1	प्रस्तावित वन भूमि के क्षेत्रफल की गणना प्रस्ताव में दिये गये ले आउट प्लान से भिन्न है।	प्रस्तावित वन भूमि के क्षेत्रफल की संशोधित गणना संलग्न है, जो प्रस्ताव में दिये गये ले-आउट प्लान के अनुसार है।
2	प्रकरण के ऑनलाइन विवरण में संलग्न प्रमाण-पत्र/दस्तावेज संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार अपलोड नहीं किये गये हैं।	प्रकरण में संशोधित प्रमाण-पत्र एफ0आर0ए0 चिन्हित वन स्वरूप सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, वित्तीय प्राकवलन, एन0पी0वी0 क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्ट, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, जी0ओ0 रिफ्रेश रिपोर्ट, क्षेत्रफल गणना शीट संलग्न है। प्रस्ताव ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।


भवदीय,


(बी0 प्रभाकर)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 773/14-1, समदिनांकित।

1. प्रतिलिपि— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को पत्रांक 475/14-1, दिनांक 01.09.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि— डिबीजनल मैनेजर, एस्सार आयल लिमिटेड, ए-5, सैक्टर-3, नोएडा को सूचनार्थ प्रेषित।


(बी0 प्रभाकर)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।